23095
1-4-22

जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

विषयः- **जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रार्थी को जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे-

१. प्राधिकरण द्वारा अपने अधिसूचित ग्रामों में अर्जित जमीन के बदले में दी जाने वाली आबादी में प्राधिकरण के किस-किस विभाग द्वारा लीजडीड के निष्पादन तक कार्यवाही की जाती है, उन विभागों का क्या-क्या दायित्व होता है।
२. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जन से प्रभावित किसानों को ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत एवं १० प्रतिशत किसान आबादी भूखण्डों का निर्धारण किस नीति अथवा निर्णय से किया जाता है। आबादी भूखण्डों की निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली नीति तथा निर्णयों की समस्त छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
३. ५/६/१० प्रतिशत किसान आबादी भूखण्डों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण द्वारा कमेटी का गठन किया गया है अथवा नहीं। यदि हॉ तो कमेटी गठन हेतु समय-समय पर जारी कार्यालय आदेशों की समस्त छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

PIO-6/.20448
R.T.I-20448
4.4.22

संलग्नः
१. १० रूपये का पोस्टल आर्डर।
२. १०० रूपये का पोस्टल आर्डर फोटो कॉपी शुल्क के रूप में।
पोस्टल आर्डर सं०- 46H-510525
मूल्य रु० -100/-

PIO 6% Abadi
1/4/22

(signature) 1/4/22
प्रार्थी

ज्ञानचन्द (एड़वोकेट)
चैम्बर नं० २५६, जिला न्यायालय,
सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

का સો રૂપિયા ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು നൂറു രൂപ शंभर रुपये ଏକଶହ ଟଙ୍କା ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ शतं रूप्यकाणि

...ABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO जन सूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

₹ 100

AT THE POST OFFICE AT ग्रेटर नोएडा
के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

ज्ञानचन्द एडवोकेट, चै० 70-259, जिला न्यायालय, सूरजपुर गौतम बुद्धनगर

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

46H 510525

23097
1-4-22

जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

विषयः-**जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रार्थी को गांव सूरजपुर, परगना दादरी, तहसील व जिला गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत के किसानों को दिये गये १० आबादी प्लाटों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु पर सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

१. क्या ग्राम सूरजपुर की अधिग्रहीत भूमि के बाबत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को १० प्रतिशत आबादी प्लाट दिये गये है अथवा नही।
२. यदि हॉ तो गांव सूरजपुर में अधिग्रहीत भूमि के किसानों को दिये गये १० प्रतिशत आबादी प्लाट की सूची उपलब्ध करायें।
३. ग्राम सूरजपुर की अधिग्रहीत भूमि के बाबत किसानों को दिये गये १० प्रतिशत आबादी प्लाट के सम्बन्ध में कोई निणर्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिया गया है अथवा नहीं।
४. ग्राम सूरजपुर की अधिग्रहीत भूमि के बाबत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को दिये गये १० प्रतिशत आबादी प्लाट किस आदेश/निर्णय से दिये गये है।

संलग्नः पोस्टल आर्डर सं०. 46H-510528
अंकन - 100 60/-

Gyan 1/4/22
प्रार्थी
ज्ञानचन्द (एड़वोकेट)
चैम्बर नं० २५६, जिला न्यायालय,
सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

P/O-6%.
RTI-20443
4.4.22

PIO 6% Abadi
4/4/22

এশ টকা একশ টাকা સો રૂપિયા ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು سو روپیہ നൂറു രൂപ शंभर रुपये ଏକଶହ ଟଙ୍କା ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ शतं रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

जारी करने वाले डाकघर की मोहर / ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO जनसूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

भुगतान करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर / PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 100

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

AT THE POST OFFICE AT

ग्रेटर नोएडा
के डाकघर में अदा करें।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

ज्ञानचन्द एडवोकेट, चैं०नं०-259
जिला न्यायालय, सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

நூறு ரூபாய் వంద రూపాయలు

46H 510528

23099
1-4-22

जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

विषयः-**जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रार्थी को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आबादी भूखण्ड आवंटन/लीज डीड निष्पादन से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करे-

१. प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने ग्रामों में ६/५/१० प्रतिशत आबादी भूखंडों को आवंटन किया गया है उनकी नामवार/भूखंडवार एवं लीजडीड निष्पादन के दिनांक वार सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

२. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आबादी भूखण्ड के आवंटन पत्र निर्गत किये जाने हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था से अवगत कराने का कष्ट करें।

३. आबादी भूखण्ड के आवंटन पत्र में क्या-क्या शर्ते उल्लिखित की जाती है। किसी भी प्रकरण में जारी किये गये आवंटन पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

४. आबादी भूखण्ड के लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही से पूर्व चैक लिस्ट जारी की जाने वाली चैक लिस्ट की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

५. आबादी भूखण्ड के लीज डीड की कार्यवाही से पूर्व चैक लिस्ट में वांछित अभिलेखों की जॉच भूलेख विभाग या विधि विभाग से करायी जाती है अथवा नहीं।

६. किसान आबादी विभाग द्वारा ऐसे कितने आबादी भूखण्डों के लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही नहीं की गयी है, जो कि चैक लिस्ट के अनुसार अप्रात्र है, उनकी नामवार/भूखंडवार सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

७. किसान आबादी विभाग द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार तैयार की गयी अपात्र भूखण्ड की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

P10-61.
R.T.I.-20447
4.4.22
20447

संलग्नः पोस्टल आर्डर १० रूपये एवं १०० रूपये का फोटो कॉपी शुल्क के लिए।
सं० - 46 H - 510527
अंकन रू० - 100/-

प्रार्थी
1/4/22.
ज्ञानचन्द (एड्वोकेट)
चैम्बर नं० २५६, जिला न्यायालय,
सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

PIO 6% Abadi
4/4/22

এশ টকা একশ টাকা સો રૂપિયા ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು [illegible] നൂറു രൂപ शंभर रुपये ଏକଶହ ଟଙ୍କା ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ शतं रूप्यकाणि

நூறு ரூபாய் వంద రూపాయలు [illegible]

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO जन सूचना अधिकारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को

एक सौ रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

₹ 100

AT THE POST OFFICE AT ग्रेटर नोएडा के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

ज्ञानचन्द एडवोकेट, चैम्बर-259
जिला न्यायालय, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

अदा करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

वैधता– जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

46H 510527